

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 3275/11-सी-FP/UP/Pipeline/147376/2021, लखनऊ, दिनांक: मई 13, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:— जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग (1300मी०) चैनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम०एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम०डी०पी०ई० गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव सं०— FP/UP/Pipeline/147376/2021

संदर्भ— उ०प्र० शासन की पत्र सं०-107/81-2-2025-800(265)/2024, दिनांक 20.02.2025

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली ने अपने पत्रांक-3440/14-1 दिनांक 11.04.2025 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

भविष्य

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या— 3275/11-सी-FP/UP/Pipeline/147376/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2— प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बरेली।
- 3— परियोजना निदेशक, केन्द्रीय यू०पी० गैस, लि०, बरेली।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:— / 14-1, बरेली, दिनांक, 11 / अप्रैल / 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:— जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०), चैनज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम०एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम०डी०पी०ई० गैस पाईप लाईन विछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी।

संदर्भ:— सचिव उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्र संख्या- 107/81 - 2-2025-800 (265)/2024 दिनांक 20.02.2025,

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली ने अपने पत्रांक 4422/14-1 दिनांक 02-04-2025 (संलग्नक-01) के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त अनुपालन आख्या निम्न प्रकार विन्दुवार संलग्नक सहित संलग्नक कर संस्तुति सहित ऑनलाइन/ऑफलाइन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्रम सं०	शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal.	शर्त के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि मु०रु० 595260.00 की धनराशि ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 15.03.2025 को कैम्पा उ०प्र० लखनऊ के खाते में जमा करा दी गयी है। यू०टी०आर० संख्या - भव्य०52025031550040495 तथा जिसकी भुगतान की रसीद की प्रति संलग्न है।
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	संलग्न है।
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
5	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
6	No labor camps shall be established on the forest land.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation of any other legal source of alternate fuel.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be Transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29/01/2018	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from Time to Time in the interest of	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।

	conservation, protection and development of Forests & wildlife.	
12	The Complete compliance report shall be uploaded on e-porta l(https://parives.nic.in/).	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
13	गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/गार्ड/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त सस्ती के किनारे- किनारे ही बिछाये जायेंगे।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
14	गैस पाइप लाइन/ टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू- क्षरण की सम्भावना न हो।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
17	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
19	भूमि का सरफेस राइट्स(Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
20	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू- स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
23	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006 -IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (If applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग- अलग प्राप्त कर लिया है।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
24	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98- एफसी, दिनांक 08.07. 2011 में दिये गये दिशा- निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा फाइल में दर्शाया गया हो।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
25	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेंगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
26	नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
27	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा(वनरपति)/फाफा के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी से सम्बन्धित नहीं है।
28	प्रत्यार्वर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।

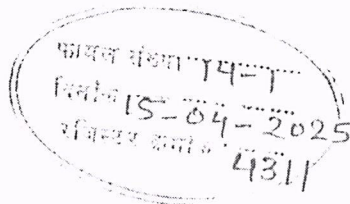
29	उक्त के अतिरिक्त रागस-रागस पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
30	प्रस्तावक विभाग द्वारा माओ उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आईओ एओ संख्या- 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफओसीओ, दिनांक 05.02.2009 के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 एवं यथार्थसंशोधित दिनांक 19.01.2023 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एनपीवीओ एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौद्यासेपण निधि प्रवर्धन तथा योजना प्राधिकरण (ब्यसचमदेजवतल) अथितमेजजपवद श्वनदक डंदहमउमदज दक र्दपदह (जीवनतपजल) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रभावता एजेन्सी से सम्बन्धित नहीं है।
31	सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ; वृत्तापदह चतउपेपवदद विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त के अनुपालन में एनपीवीओ की धनराशि मु०रु० 595260.00 की धनराशि ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 15.03.2025 को कैप्ता उ०रु० लखनऊ के खाते में जमा करा दी गयी है। यू०टी०आर० संख्या - HDFCR52025031550040495 तथा जिसकी मुगताम की रसीद की प्रति संलग्न है।
32	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही हैं भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	संलग्न है।

प्रारूप-2

शर्त.संख्या	भारत सरकार की इंगित शर्त	अनुपालन आख्या/प्रतिउत्तर की स्थिति
01	02	03
01	एनपीवी की धनराशि	5,95,260.00
	एनपीवी की जमा धनराशि	5,95,260.00

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नको सहित ऑनलाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

Surveyor
D.F.O.
11/04/25



पत्रांक 3440 /14-1, दिनांकित

1- प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली को उनके पत्रांक 4422/14-1 दिनांक 02.04.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी-वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी-वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

